

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र कगाऊ
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. जुगताराम पुत्र शेराराम 2. गडूकराम पुत्र
शेराराम जाति नाई निवासी लोगों की
ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

1. अचलाराम पुत्र ईशाराम 2. मगराम
पुत्र ईशाराम 3. थानाराम पुत्र सेजाराम
जातियान जाट निवासीयान लोगों की
ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर
4. ठाकराराम पुत्र उगराराम 5.
किशनाराम पुत्र उगराराम 6. भैराराम
पुत्र चेतनराम 7. जुझाराम पुत्र भंवराराम
8. चनणी पत्नि हरचंदराम 9. सुआ
पत्नि मंगनाराम जातियान नाई
निवासीयान लोगों की ढाणी, कगाऊ
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-203/2021

दिनांक-13.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लोगों की ढाणी, पटवार हलका कगाऊ, तहसील व जिला
बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 432 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 433 रकबा 02 बिस्वा,
खसरा नम्बर 434 रकबा 1.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 515/435 रकबा 80.06 बीघा,
कुल रकबा 82.12 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने
हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई
करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित
तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खरी) फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने
बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक
हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 479-482

दिनांक- 17/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालन प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जुगताराम पुत्र शेराराम जाति नाई निवासी-लोगों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अचलाराम पुत्र ईशाराम वगैरह जाति जाट निवासी-लोगों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

R/c

H=3
22/12/21
13/11/22